healthy रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत- बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Discussion on the Working of the Home Affairs. Shri Saket Gokhale to raise the discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Thank you very much, Chairman Sir. I am incredibly glad that the hon. Union Home Minister is here as well.

Sir, 'Discussion on the Union Home Ministry' today is being initiated by the All India Trinamool Congress. And guess, Sir, who does Ms. Mamata Banerjee give the responsibility for initiating this discussion? She gives it to a 38-year-old MP who was thrown into jail [£] *...(Interruptions)...*

Sir, in the last week, we have discussed four Ministries with the cooperation of the Government as well as the Opposition. Most of the questions of the Ministries of 'Education', 'Railway' and 'Health' went unanswered. The hon. Railway Minister even tried to pass a non-existent Railway Budget during his speech, but that is okay. I am glad that, at least, the discussions happened and they happened very smoothly.

Sir, today we are discussing the Union Home Ministry in the Council of States. It is a very big deal because law and order is a State subject. It is not meant to be controlled by the Union Government. The role of the Home Ministry is confined to internal security, control of India's borders and disaster management. The role of the Union Home Ministry is not to interfere with the law and order machinery of the State. Sadly, in the last 11 years, the Union Home Ministry has erased the distinction between the Government of India and the Republic of India. India is a Union of States, all of which together constitute the Republic. However, Sir, the Home Ministry today feels that the Union Government is the sole representative of the Republic and the States don't mean anything. The Home Ministry today has become a force for battling against States and for any person who tries to disagree with the Union Government. The Home Ministry is like a *Zamindar* today, which treats States like its personal fiefdom, and anybody who opposes the Government is treated as an enemy of the nation. Certain small States sometimes are not able to stand up to this. But I will promise you, Sir, powerful States like West Bengal will always fight against this *Zamindari* mentality.

[£] Expunged as ordered by the Chair.

Sir, I will give a little bit of background about how this Home Ministry functions and what is the problem, particularly, with respect to my State of West Bengal. In 2021, the Union Home Ministry passed a notification disregarding Parliament completely. The jurisdiction of the BSF on India's internal borders used to be about 15 kilometres. With this notification, they enhanced the jurisdiction from 15 to 50 kilometres. ठीक है। They did this in the Opposition-ruled States of West Bengal and Punjab. You increased the jurisdiction from 15 to 50 kilometres in Punjab and West Bengal. In Gujarat, on the other hand, Sir, which is BJP-ruled, the jurisdiction of the BSF was reduced from 80 kilometres to 50 kilometres. Inside the borders, it is the job of the State police, but, again, infringing on the rights of States, you have given that power to the BSF to control it. Sir, my State, West Bengal, is unique. We have the longest international border of any State in India. We also share our border with three countries, Nepal, Bhutan and Bangladesh. We are also gateway to the North-East. Anything that happens in these areas, any geopolitical tension, has a direct bearing on us. You would expect that the Union Home Ministry would want to work together with the State, give the State its dues. Sir, there is some data which I want to present here, which just shows how Bengal is being treated. In 2011-12, under the then UPA Government, Bengal received Rs. 44 crores under the Central Modernization Fund. Ten years later, in 2021-22, how much did Bengal get? Zero rupees. In 2013-14, Bengal got Rs. 59 crores. Ten years later, in 2023-24, zero rupees. Between 2020 and 2024, in four years, we should have got Rs. 160 crores by previous estimates. In these four years, we did not get a single rupee from the Union Government. Today, West Bengal has pending dues of Rs. 386 crores from the Union Home Ministry.

Forget borders, forget internal security, I will talk about safety of women. I am sure that the hon. Home Minister is also concerned about that. The West Bengal Assembly unanimously passed the *Aparajita Bill* for the safety of women. That Bill has made its way to the President who will only give assent to it based on the advice of the Council of Ministers, the Union Home Ministry. That Bill is still stuck. We have repeatedly requested for it. It was unanimously passed by all parties, but no approval has been given.

Sir, now I will come to my favourite bid because I have had a little bit of experience with this, the Central Agencies. Sure, under previous Governments, the Supreme Court has said that they are a 'caged parrot', etc, etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So, we thought things would change. But nothing has changed in the last eleven years. ...(*Interruptions*)... For the benefit of the hon. Member, Sir, I am now going to read out the glorious record of the CBI.

MR. CHAIRMAN: One minute. Hon. Home Minister.

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): सभापति महोदय, मुझे लगता है कि आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए कहा है। शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम, जो वे बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मिमांसा कर रहे हैं। उनको सिर्फ गृह विभाग के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मेरा एक technical objection है। अगर आप area wide करना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी जवाब देने में ऐसा करने दीजिएगा और फिर हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member.

श्री साकेत गोखले: सर, [£]

MR. CHAIRMAN: No, no. Let us have a healthy discussion. ...(*Interruptions*)... Mr. Saket, please continue.

SHRI SAKET GOKHALE: I did not refer to the CBI or the ED. उनको बढ़ाना है, तो स्कोप बढ़ा दीजिए। He is free to do that. Over 6,900 cases of corruption have been registered by the CBI. ...*(Interruptions)*... Over 6,900 cases of corruption registered by the CBI are pending trial. Over 361 corruption cases have been pending for more than 20 years...

SHRI AMIT SHAH: Sir ...

SHRI SAKET GOKHALE: I am not yielding, Sir. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. I refuse to yield, Sir. ...*(Interruptions)*... Under the rules, I am allowed to refuse to yield. I am not going to yield to him. He can wait. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute, Mr. Gokhale. Listen to the Chair, please. When there is a jurisdictional issue, ...*(Interruptions)*... Hon. Home Minister.

श्री अमित शाह: मान्यवर, माननीय सदस्य ने इंटरप्रिटेशन किया कि डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं। मैं सात बार चुनाव जीतकर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध करके यहां नहीं घुस गया हूं। डरने का question does not arise. सर, माननीय सदस्य जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की information दे रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। Number of cases, जो वे सीबीआई के कह रहे हैं, वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय

[£] Expunged as ordered by the Chair.

हाईकोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर्ड किए गए केस हैं। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई है। ये सारे करप्शन के केस नहीं हैं। नीर-क्षीर करके रखे हैं। चुनावी हिंसा किस प्रकार की! चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गईं, जहां हमारा बहुमत था, वहां चुन-चुन कर हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। ...(**व्यवधान**)... उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया और जब पीड़ित लोग हाई कोर्ट में पहुंचे, तब हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दी गई। ...(**व्यवधान**)... हाई कोर्ट के ऑर्डर से दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ...(**व्यवधान**)... जमींदारी कौन कर रहा है, वह अब पूरा देश देखेगा। आप हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। ये सारे सीबीआई के केस हैं, वे सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये कह रहे हैं कि इनमें परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसमें परिणाम इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि आज बंगाल में एक भी CBI Special Court नहीं है। एक भी नहीं बनाई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member. *...(Interruptions)...* And I would appeal to the Members, keep this in mind. Please continue.

SHRI SAKET GOKHALE: All these things can be said in the reply, Sir. *...(Interruptions)...* All right, Sir. I would skip CBI and ED and make just one thing clear.

MR. CHAIRMAN: No, no. You made a wrong observation. That is not good. Please continue.

SHRI SAKET GOKHALE: I am skipping it. सर, हम भी मेहनत से आए हैं। वे भी साबरमती जेल में रहे और हम भी साबरमती जेल में रहे हैं। Intelligence Bureau तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, he must withdraw his words.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, this is not fair at all.

MR. CHAIRMAN: Mr. Gokhale, you need to withdraw, as the Leader of the House says. *...(Interruptions)...*

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, this is absolutely not fair. Then I want my full 12 minutes to be started all over again. They can say their part.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: According to parliamentary practice, he should apologise or it should be expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): No way. For what? ...*(Interruptions)*...

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): For what? He is making his submissions. ...(*Interruptions*)... He will not apologise. ...(*Interruptions*)...

SHRI SAKET GOKHALE: I will not apologise.

सुश्री सुष्मिता देवः सर, हम क्यों माफी मांगें? ...(**व्यवधान**)... चर्चा करना हमारा हक है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, one minute. ...(*Interruptions*)...

सुश्री सुष्मिता देवः सर, क्या आप हमें चर्चा नहीं करने देंगे? सर, ये लोग कितना बोलते हैं, क्या हमने कभी कुछ बोला है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Would you take your seat now? Take your seat. ...(*Interruptions*)...

सुश्री सुष्मिता देवः सर, ये बीजेपी वाले डिबेट के टाइम पर कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन तब किसी को नहीं रोका जाता है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. ...(*Interruptions*)... Take your seat. What is wrong with you? Your leader of the House has spoken. Hon. Members, for the last few days, we have had a good healthy discussion. There may be different points of view. I would strongly urge the hon. Member to withdraw that expression which is subjective and judgemental. Your dignity will not go down. You need to withdraw it. Otherwise, I would delete it. ...(*Interruptions*)... If any Member of the House says that the other Member डर गया है, it is something which can neither be overlooked nor countenanced. Each Member of the House, in his own right, has his dignity. ...(*Interruptions*)... I will look into everything. It will increase your stature. It will make a healthy debate. You need to withdraw that observation. The observation has been imparted with respect to India's Home Minister. This does not give good signal. ...(*Interruptions*)...

SHRI SAKET GOKHALE: They interrupted me.

MR. CHAIRMAN: No one interrupted you; I allowed it. ...(*Interruptions*)... I would urge you. Otherwise, there are ways in which we deal with situations -- deletion of it or otherwise. I think he is giving a good suggestion. You need to withdraw that. Personal observations of any nature need to be avoided. I am totally opposed. I am so happy, the debate has been very nice in recent days. We have Home Minister who has been here right from the beginning and if there have been interventions, the intervention was jurisdictional. ...(*Interruptions*)... I think, Members will speak only after I conclude. So, I would urge Saket Gokhale ji to withdraw that since the objection is legitimate by the Leader of the House and it does not find approval of the Chair. I do not want a promising Member to derail himself and, therefore, I would urge the hon. Member to withdraw the personal observation. ...(*Interruptions*)... I stand by what I said, but I would appreciate if you withdraw it.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I greatly respect you. I am Mamata Banerjee's soldier बीजेपी वाले विदड्रा करेंगे, हम नहीं करेंगे। Let me now come to the NIA. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The observation is deleted.

SHRI SAKET GOKHALE: That is your call. ...(*Interruptions*)... I am not withdrawing it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is deleted because I find it not only unparliamentary, but also unjustified and not well motivated. Please go ahead.

SHRI SAKET GOKHALE: I have lost some of my time.

MR. CHAIRMAN: I will add up the time. You can expect the Chair to be fair. I will add up the time. I will add two minutes.

SHRI SAKET GOKHALE: Thank you so much. In 2013, a former Director of the Intelligence Bureau, under the previous Government, said that structural changes to the Intelligence Bureau have not happened since 1980s. At that time, he called for urgent legislative and structural changes to the functioning of the Intelligence Bureau to make it more independent. This was in 2013. That former Director of the

Intelligence Bureau, Mr. Ajit Doval, became India's National Security Advisor in 2014. He has been in that position for the last 11 years. These legislative and structural changes, that he wanted in 2013, we have not seen them happening in the last 11 years.

The NIA was originally envisaged as an anti-terror agency. The NIA is busy now running its agendas in different States, locking up Indians for supposedly plotting against the Modi Government. An 83-year old man, a tribal welfare worker and a priest, Father Stan Swamy, we know how he died in prison; we know the story of being denied a straw. This is what the NIA does. Then, there is another very concerning issue which pertains to a lot of Members in the House on all sides. In 2021, there were independent investigations that raised allegations that the Union Government had planted an Israeli software called Pegasus for surveillance on phones of about 300 people, including Opposition leaders, Judges, politicians, Ministers, activists and journalists. My leader, Abhishek Banerjee, was one of those leaders. In 2022, the matter reached the Supreme Court. The Supreme Court had set up a Technical Committee to examine these allegations. There is something very interesting that the Committee told the Supreme Court. It said that through this entire investigation, the Union Government refused to co-operate with the Committee. If Pegasus was used legally, there should not have been any harm and there is no harm in admitting it. If it was used illegally, then, maybe that is the reason that they are hiding it. Otherwise, there is no reason to hide it from the Supreme Court Committee. Anyway, Sir, surveillance happens and agencies are used.

Now, I want to come to a subject that rocked this country about four or five years ago, that is, the CAA and the NRC. The hon. Home Minister might remember that he made a very famous speech at that point before the Bill was introduced in the Parliament. He said, "आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा और फिर एनआरसी लागू होगा। सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में एनआरसी लागू होगा।" And, then he came to Bengal and said, "Illegal people will be thrown like termites into the Bay of Bengal." This caused so much concern in India that his own Prime Minister, a few weeks later in the Ramlila Maidan, completely contradicted what he had said, and said, "No, there is no plan to bring a nationwide NRC." Anyway, लोक सभा इलेक्शन के टाइम स्पीच दी थी। Eventually, in January, 2020, the Citizenship Amendment Act was notified. The CAA was brought in. It did not help them in the 2021 West Bengal Legislative Assembly elections. So, what did they do? Till last year 2024, that is, even after four years, the rules of the Bill were not issued. Now, if the hon. Minister, before bringing the Bill, had read the report of the Joint Parliamentary Committee, he would have found that the JPC had said that the CAA would benefit only 30,000 people. The

Home Minister had claimed that lakhs of refugees would benefit. As of date, what is the reality? Only 350 people have been given citizenship under the CAA.

No discussion on the Home Ministry can be complete without making a reference to Manipur. A debate on Manipur has happened in this House. My only point is that Manipur needed a healing touch. With whatever has happened in Manipur under the watch of the hon. Home Minister, I really do not know how he manages to sleep peacefully at night.

In submission, I just want to say something very clear. This is purely very parliamentary. I could have said something else, but I will not. Very simply speaking, the Union Home Ministry is meant to be the Union Ministry of Home Affairs. It does not mean that Ministry आप घर से चलाओ। 'Home' does not mean '*ghar*' here. [£]...(*Interruptions*)... I do not need any extra time. I just have one parting note to say...(*Interruptions*)... My conclusion, Sir, if I may be allowed to...

MR. CHAIRMAN: Shri Saket Gokhale, your observation is against a caste, against a sub-caste. It should not have been made. ...(*Interruptions*)... The Leader of the House...(*Interruptions*)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, again, I say that the words used are unparliamentary. It names a caste and it is something which is derogatory also. It should be withdrawn. It is better if he withdraws it. Otherwise, it should be deleted. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: One second. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... I am sure that the entire House will not approve mentioning a caste, whether it is Shah, or, let us say, Maratha or Jat or Rajput or any other, you should not have said so. ...(*Interruptions*)... You said so. ...(*Interruptions*)... You said so. ...(*Interruptions*)... And, you said so by buttressing it. You wanted a traction of it. Mr. Saket, I know you are a journalist, but venomous traction that divides the society is something that we must avoid. You, therefore, please rise and withdraw it. ...(*Interruptions*)...

Well, the Member does not withdraw it. I delete it and it will emanate consequences. ...(*Interruptions*)... For both the observations, the matter will be under my consideration. ...(*Interruptions*)... We cannot allow the House to have free fall of information because no one can take action outside. ...(*Interruptions*)... If you say anything, 1.4 billion people cannot go to court because you are making a statement

[£] Expunged as ordered by the Chair

here and therefore, this House is the repository of sanctity of a statement made. Both observations were of personal nature. You targeted an individual who is holding a good constitutional position. It should have been avoided. Otherwise, it was a good address, but, you have polluted it. I reserve my ruling on that. It is not acceptable. ...(*Interruptions*)... Yes, the Minister of Parliamentary Affairs. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, the hon. Member, Shri Saket Gokhale, is the initiator of this very important discussion.

MR. CHAIRMAN: It is really very important.

SHRI KIREN RIJIJU: We expect that the hon. Member, who initiates the discussion, to be very broad-minded. ...(*Interruptions*)... Also, he should set the tone. ...(*Interruptions*)... The way he has started the discussion and the words that he has used from the very beginning is not appreciated. He started on a negative note. We all are here to listen to the suggestions. We can accept the criticism also. ...(*Interruptions*)... During his 12-minute address, he has not given even a single suggestion. We would welcome the suggestions of the hon. Members. We are discussing the working of the Ministry of Home Affairs. ...(*Interruptions*)... Not a single suggestion to improve the working of the Ministry has been given.

SHRI DEREK O'BRIEN: Mr. Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek, I will come to you. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: He has been attacking right from the beginning. I do not understand it. इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके ये अपने आपको किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं, आप बताइए! ...(**व्यवधान**)... यह कोई तरीका है! ...(**व्यवधान**)... आज तक मैंने ऐसा initiate करने वाला मेम्बर देखा ही नहीं है! ...(**व्यवधान**)... राज्य सभा का थोड़ा standard maintain करिए। ...(**व्यवधान**)... राज्य सभा में हम लोग expect करते हैं कि जब एक मेम्बर बोलते हैं, तो वे कम से कम एक standard और decorum maintain करेंगे, लेकिन इन्होंने 12 मिनट में जो बोला है, सभ्य समाज में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इन्होंने राज्य सभा की गरिमा को गिराया है। ...(**व्यवधान**)... ये क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं! ...(**व्यवधान**)... यह कोई तरीका है! ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members… …(*Interruptions*)… Ms. Sagarika, your leader can help himself. Please take your seat. …(*Interruptions*)…

Hon. Members, I have said on multiple occasions that anything said in this sacred temple carries credibility and sanctity. We must be giving a call of unity, not of divisiveness. We must have mutual respect, not deliberate targeted disrespect. These are the two elements which have been thrown, and, these have been thrown in a manner because, these days, we have a different mechanism of dissemination. So, if we become a platform for dissemination of such kind of wrong narratives, it insults the very concept of the Council of States, the House of Elders, the Upper House. Personally, I would still appeal to please maintain decorum. Mr. Saket, you know it more than anyone else that Intelligence Bureau is not within the jurisdiction of the hon. Home Minister. …(*Interruptions*)… Still, you raised it. It is not *…(Interruptions)…* No, no. I need not go to the book for a simple reason that all of us know that we, at the moment, are not on the right track. I appeal to everyone in the House to converse on soothing discourse and make contributions. Saket, you can take two more minutes and conclude, and conclude on a soothing note.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, multiple people have spoken longer than me. *…(Interruptions)…*

MR. CHAIRMAN: On a soothing note, because the Parliamentary Affairs Minister said 'one who sets the tone of debate'...

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, he called my speech… *…(Interruptions)…* But you won't expunge that. *…(Interruptions)…*

MR. CHAIRMAN: I will look at every word but two I have already detected. *...(Interruptions)...*

SHRI SAKET GOKHALE: I also object to that, Sir. *...(Interruptions)…* Anyway, Sir, I want two sentences to conclude.

MR. CHAIRMAN: Saket, take your seat. Yes, Derek.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we are talking about getting personal. On record, today, the Parliamentary Affairs Minister of India called my colleague not broadminded. I take strong objection to anybody from here, calling anybody from here *…(Interruptions)…*

This is not a commentary. Sir, you can *...(Interruptions)...* One minute, Sir. Let me finish.

MR. CHAIRMAN: You have said so.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please understand; one MP spoke, three Ministers got up. You are in charge, Sir. Give him one minute to conclude his speech and let us move on. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I want to say one thing. मैंने broadminded कहा। मतलब, मैंने speech को बोला है। The speech is not very broadminded. Please understand. *...(Interruptions)...* Derek, don't try to misinterpret unnecessarily. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I think we have had enough of it now. You need to wind up.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, just two sentences to finish off.

MR. CHAIRMAN: One word is enough to dislocate us. Be careful about it. One word can upset the entire country. You are going for two sentences. So, be careful about it.

SHRI SAKET GOKHALE: Only two sentences, Sir. This is my conclusion. You mentioned caste. [£]

MR. CHAIRMAN: Again!

SHRI SAKET GOKHALE: You are talking about caste! *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: He did not. *...(Interruptions)...* He did not.

SHRI SAKET GOKHALE: Anyway, I want to conclude, Sir, by saying only one thing. West Bengal elections are coming next year in 2026. The Union Home Ministry, if it

---

[£] Expunged as ordered by the Chair.

does not drop this attitude, the BJP will become [£] from the State of West Bengal. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before I call the next speaker, I wish to again reiterate. *...(Interruptions)...* Yes, Leader of the House.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I have a strong objection as the President of the Bharatiya Janata Party. [£] is a legal word which is used. In a democratic nation, he has got no right to use such words against my party and that should also be withdrawn. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, in the last West Bengal Assembly elections, a party that ruled the State for more than two decades and a party that ruled the State for more than three decades, I am making reference to the Indian National Congress and the Communist Party, their representation in the House was zero. These are democratic processes. So, my strong belief is we cannot use this House to just trigger something that can be on the shelf of media for some time. I strongly deprecate it. This is not a platform to generate sensation, narratives that betray our democratic values. Looking at the enormity and gravity of the situation, I reserve my ruling on certain situations that have happened during his address and will give my ruling on them. Now, Shri Sudhanshu Trivedi. You have 15 minutes.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, अभी इस सदन में हमारे साथी, साकेत गोखले जी द्वारा, जो भारत के उस राज्य को represent करते हैं, जो fine arts और गरिमा में अपना एक उच्च स्थान रखता है, जिसे बंगाली भद्र लोक कहा जाता है, परंतु आज उस initiation के साथ मुझे लगता है कि उस भद्रता के साथ जो क्रूर मजाक हुआ है, उसके ऊपर बात करते हुए मैं पीड़ा के साथ अपना निवेदन प्रारंभ करता हूँ।

सभापति महोदय, आज हम गृह मंत्रालय के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। 26 मई, 2014 को हमारी सरकार के आने के बाद गृह मंत्रालय के tone and tenor में क्या परिवर्तन आया, इसे मैं सिर्फ दो बानगी में बताना चाहता हूँ। आप सबको ध्यान होगा, BSF, जो कि गृह मंत्रालय के under आता है, 26 मई, 2014 से पहले उधर से बहुत firing हुआ करती थी। उसके बाद पहली firing हुई, तो मुझे याद है, उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, यहाँ पर खबर आई कि साहब, पहले कहा जाता था कि firing हो, तो सिर्फ white flag दिखाना है। आपको पता है कि उस समय गृह मंत्रालय से BSF के DG को संदेश गया कि अब यह मोदी की सरकार है, अब

[£] Expunged as ordered by the Chair.

white flag नहीं दिखाया जाएगा, firing के ऊपर चार गुना firing का जवाब दिया जाएगा। आप सबने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में सीमा पर firing में शांति आ गई है।

मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब 26 मई, 2014 को हमारी सरकार आई, अभी Intelligence Bureau का उल्लेख हुआ, जो गृह मंत्रालय में आता है, उसके Chief श्री आसिफ इब्राहिम थे, जो कांग्रेस पार्टी के शासन काल में IB Chief बने थे। वैसे तो हम किसी भी अफसर को धर्म या जाति के आधार पर नहीं देखते, पर उस समय इस बात का प्रचार किया गया था कि देखिए, एक मुस्लिम अधिकारी को IB का Chief बनाया गया। परंतु आज तक का भारत का इतिहास है, जब कोई सरकार बदलती है, तो IB Chief एक महीने से ज्यादा नहीं रहता है, परंतु श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में श्री आसिफ इब्राहिम का 8 महीने का कार्यकाल था और उन्होंने उस 8 महीने के कार्यकाल को पूरा किया।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

याद रखना चाहिए कि मोदी जी के कार्यकाल का पहला IB Chief मुस्लिम समाज से था। यह दर्शाता है कि हम समाज के वर्गों को डर पैदा करके साथ में नहीं लेना चाहते, विश्वास पैदा करके साथ में लेना चाहते हैं।

आज हमारे गृह मंत्री, आदरणीय अमित शाह जी गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। उपसभापति जी, यह संयोग भारत के इतिहास में तीन बार बना है। पहली बार जब सरदार पटेल गुजरात से थे और पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश से थे, तब स्वतंत्रता का काल था। दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से थे, तब भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया था। आज जब अमित शाह जी गुजरात से हैं और मोदी जी उत्तर प्रदेश से हैं, तो भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है। अर्थात् मैं कह सकता हूँ कि काल के कपाल पर भारत के भाल पर कुछ तो नया होने वाला है और कुछ न कुछ तो नया हुआ है। उसे आज समझने की जरूरत है।

अब मैं बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय ने इस दरम्यान किस-किस प्रकार से कार्य किए। मैं तीन प्रकार के कार्य बताना चाहता हूँ। एक, वे कार्य, जो पिछली सरकारें भी कर रही थीं, उन्हें हमने करके दिखाया; दूसरा, वे कार्य, जो पिछली सरकारें कर ही नहीं सकती थीं, सोच नहीं पाईं, उन्हें करके दिखाया और तीसरा, वे कार्य हैं, जिन पर पिछली सरकारों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया कि नहीं हो सकते, उन्हें भी करके दिखाया। पहली श्रेणी में वे कार्य हैं, यानी मैं मानता हूँ कि दूसरी सरकारों ने भी प्रयास किया होगा कि आतंकवाद की घटनाएँ कम हों और अपराध की घटनाएँ कम हों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद की कुल घटनाएँ जून, 2004 से 2014 के बीच में 7,214 थीं, जो 2014 से 2024 के बीच में 2,240 हैं। उसमें 69 प्रतिशत की कमी आई है। कुल मृत्यु, जो नागरिकों और security forces की होती थीं, उसमें 68 प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की जो मृत्यु होती थी, उसमें 81 प्रतिशत की कमी आई है। Security forces में जो मृत्यु होती थी, उसमें 46 प्रतिशत की कमी आई है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। Stone pelting के incidences 2010 में 2,654 थे, अब ज़ीरो हैं। Organized हड़ताल ज़ीरो हैं, stone pelting ज़ीरो हैं और stone pelting में जख्मी होने वाले ज़ीरो हैं। उपसभापति महोदय, पत्थर

पड़ने का दौर खत्म हो गया, मगर किसी की अक्ल पर पत्थर पड़ा हो, तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना।

उपसभापति महोदय, महिला सुरक्षा के लिए एक अलग प्रभार बनाया गया। 2018 में एक integrated helpline बनाई गई और 181 helpline को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया। Forensic को मजबूत करने के लिए प्रदेश में DNA विश्लेषण और cyber forensic की labs भी बनाई गईं। Modernization करने के लिए 80 करोड़ रुपए की एक अलग मंजूरी दी गई। Forensic ecosystem को बेहतर बनाने के लिए 7 नई forensic प्रयोगशालाएँ बनाने की बात हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और कोलकाता की labs को और improve करने का कार्य किया गया। ये वो कार्य हैं, जो पिछली सरकारों ने सोचा नहीं था, वो हम कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। उनमें से एक CAA है। CAA का उदाहरण अभी हमारे साथी ने दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी संसद में एक वो दौर था, जब इनकी नेता, ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में इकलौती बार चेयर के ऊपर इस बात को लेकर फाइल फेंकी थी कि बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा कि कितना बड़ा बदलाव दिखता है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया था, वे आज कितना पीछे हट गए! इसे कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान कैसे बदलता है। CAA पर मैं कहना चाहूंगा कि CAA, यानी नागरिकता गृह मंत्रालय का विषय है और यह संसद के द्वारा एक पारित कानून था, परंतु राज्य विधान सभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया! यह सरासर कानून का उल्लंघन था, सरासर संविधान का उल्लंघन था और मैं कह सकता हूँ कि इसके द्वारा संविधान खतरे में था।

मैं दूसरा उदाहरण यह देना चाहता हूँ कि UAPA में चेंज किया गया, यानी अब केवल एक संगठन आतंकवादी नहीं होगा, बल्कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी होगा, तो उसको भी आतंकवादी माना जाएगा। NIA Act में आतंकवाद की परिभाषा स्थापित की गई। मृत्यु दंड पर यह संशोधन किया गया कि क्षमा याचना केवल संबंधित व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। आपदा के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई। सर, हमें नक्सलवाद को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। अभी दिसंबर के महीने में हमारे गृह मंत्री, अमित शाह जी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में CRPF के कैंप में पूरी रात गुजारकर आए हैं। जो लोग यह कहने का प्रयास करते हैं कि किसको और किससे डर, उनको इससे समझने का प्रयास करना चाहिए। उपसभापति महोदय, वे दौर अब चले गए। मुझे याद है, 6 अप्रैल, 2010 को दंतेवाड़ा में 76 CRPF के जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद ऐसे समाचार आते थे कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में शहीद जवानों के प्रति नहीं, नक्सलवादियों के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे। वह दौर अब समाप्त हो गया।

मैं अब तीसरी श्रेणी में यह बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय ने वे काम किए हैं, जो पिछली सरकारें कहती रहीं कि यह नहीं हो सकता,यह नहीं हो सकता, लेकिन उनको उसने करके दिखाया। धारा 35ए, धारा 370 इसके उदाहरण हैं। मैं कह सकता हूँ कि जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो राज्यों का महकमा उनके पास था और उस समय कश्मीर की जो कसक रह गई थी,

वह कसक अगर आज समाप्त हुई है, तो वह अगस्त, 2019 में अमित शाह जी के गृहमंत्री काल में समाप्त हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एकता के लिए पहला बलिदान दिया था। 26 जनवरी, 1930 को रावी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य की शपथ ली गई थी, पर वह शपथ अधूरी रह गई थी, तो सरदार पटेल के दिल में कसक थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान था और अटल जी के दिल में वेदना थी। उन्होंने कहा था:

15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है,
सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है।

परंतु वह शपथ किसने पूर्ण की? प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ये वर्तमान गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी ने उसको पूरा किया। इसी के साथ, मैं एक पंक्ति यह कहना चाहूंगा कि अपनी सरकार और प्रधान मंत्री जी की तरफ से भारत के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि:

दर्द की रात गई, ग़म के जमाने भी गए,
मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए।

इसके अलावा, कश्मीर में जो बड़ा परिवर्तन आया, उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी हमारे साथी ने डर का उल्लेख किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 10 सितंबर, 2024 को भारत के पूर्व गृह मंत्री, सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था कि मैं गृह मंत्री के रूप में जाता था, तो डल लेक में मैं गृह मंत्री के रूप में होता था। डर के मारे उनकी क्या हालत होती थी, वह शब्द संसदीय नहीं है, तो मैं अपनी स्वरचित पंक्ति में कहना चाहूंगा, हमारे साथी सब समझ जाएंगे कि:

लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी,
खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थीं,
दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में,
गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी।

आप समझिए कि आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे गृह मंत्री वो हैं, जिनको देखकर आतंकवादियों की छाती फटने लगती है और आतंकवाद के समर्थन करने वालों के छाती में दर्द होने लगता है।

उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी सरकार और हमारी सरकार में वही अंतर था, जो भारत की परंपरा में है। उन्होंने बहुत दिन नागपंचमी की, नागों को दूध पिलाया, हमने जन्मेजय का नाग यज्ञ करके दिखाया, जिसमें सारे नाग आकर समाहित हो गए। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि:

कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो,
एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं,
दूध भी पिलाते हैं, परंपरा हमारी मित्र,
किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं।

सर, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। कांग्रेस के युवा नेता ने तथाकथित भारत यात्रा निकाली। उसी कश्मीर के बारे में कहते हैं कि हालात नहीं बदले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश ने वह दृश्य देखा है, जब भाई और बहन, दोनों सुरक्षित वातावरण में, मधुर मनोभावों के साथ बर्फ के गोले के साथ खेलते नजर आ रहे थे। यह वही कश्मीर था, जहां कभी उनके गृह मंत्री के पैरों के नीचे धरती फटी जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव होने के बावजूद कुछ लोगों को यह दिखाई नहीं देता।

मैं कहना चाहता हूं कि यह वही कश्मीर था, जहां आईएसआईएस के झंडे दिखाई देते थे, जहां पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। लेकिन आज, अगर आरजी और पीजी दोनों सुरक्षित थे, एसजी भी खुश रही होंगी और मुझे लगता है कि जीजा जी को भी खुशी का एहसास होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके लिए गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा - जो उनके नेता कहते हैं, 'डरो मत, हकीकत का सामना करो।' तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हकीकत का सामना करो कि कितना बदलाव आया है, डरो मत। डरने का काम हमारी सरकार में केवल देश के विरोधियों के लिए छोड़ दो।

इसके अलावा, हमारी सरकार के समय में इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता के रूप में बदला गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज़ की तुलना की जाए, तो वह तुलनात्मक होनी चाहिए। जब हमारी सरकार आई और गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो पूर्व की सुरक्षा स्थिति और वर्तमान की सुरक्षा स्थिति में कितना अंतर आया है, यह समझना आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 'लॉ एंड ऑर्डर' तो स्टेट का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार के आने से पहले दिल्ली में धमाके नहीं होते थे? क्या मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर और हैदराबाद में धमाके नहीं होते थे? कौन सा ऐसा शहर था, जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके होते थे, बसों में धमाके होते थे, लोकल ट्रेनों में धमाके होते थे, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर धमाकों की चेतावनी लिखी होती थी—'छूना मत, धमाका हो जाएगा।'

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

इसके बावजूद आज वह केवल दक्षिण कश्मीर के चार जिलों तक सीमित रह गया है। फिर भी, कुछ लोगों को यह बदलाव नज़र नहीं आता, जो उनके गहरे पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार से शासनकाल में जांच के अंदर किस प्रकार का कार्य हुआ। मैं दो चीज़ों का उदाहरण देना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस केस, दुनिया के

इतिहास का इकलौता केस होगा, जिसमें पहले सरकार जांच कर रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, लेकिन अचानक U-turn ले लिया और तथाकथित हिन्दू आतंकवाद पर आ गए। इसमें आरोपी के रूप में असीमानंद जी का जेल में इंटरव्यू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि जेल में इंटरव्यू कैसे हुआ, बजाय इंटरव्यू लेने वाले पर कार्रवाई होने के, क्योंकि कानून के अनुसार पुलिस हिरासत में दिया गया बयान अदालत में admissible नहीं होता है और आपने इंटरव्यू के आधार पर चेंज कर दिया। जबकि David Coleman Headley की तीसरा पत्नी फौजिया का अमेरिका में दिया सीधा इंटरव्यू है, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान का involvement था।

दूसरा उदाहरण इशरत जहां केस का देना चाहता हूं। यह दुनिया के इतिहास में investigative agency में एक अद्भुत उदाहरण होगा, जिसमें पहले भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और सीबीआई (CBI) दोनों कह रही थीं कि इशरत जहां आतंकवादी है, लेकिन बाद में सीबीआई ने अपना स्टैंड बदल लिया और कहा कि वह आतंकवादी नहीं है, लेकिन आईबी चीफ कहते रहे कि वह आतंकवादी है। यानी ऐसा विचित्र उदाहरण था कि एक ही सरकार की दो एजेंसियां एक-दूसरे के खिलाफ बोल रही थीं। जब हमारी सरकार आई और हलफनामा बदलने का आधार पूछा गया, तब फाइल गायब थी। यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी का किस प्रकार से मज़ाक उड़ाया गया।

महोदय, 26/11 मुंबई हमला, हाफिज़ सईद ने कराया। यह इनकी सरकार मानती थी। मगर हमारे कई सम्मानित नेता उस तरफ बैठे हैं, जो कहते थे कि आरएसएस ने कराया। इनकी सरकार में जिस प्रकार सिक्योरिटी का मज़ाक उड़ाया गया है, यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी किस प्रकार की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग जो अपने ज़माने में कहते थे कि इशरत जहां 'बेटी' है, याकूब मेमन की ज्युडीशियल किलिंग हुई है, अफज़ल 'हालात का मारा' है, ज़ाकिर नायक 'शांति का मसीहा' है, ओसामा 'जी' हैं, हाफिज़ 'साहब' हैं। इस हालात के बाद क्या होना था? मैं पूछना चाहता हूं कि वे डर के बोल रहे थे या प्रेम से बोल रहे थे? ये आपकी मुहब्बत की दुकान के सरमायेदार थे या मुहब्बत की दुकान के खरीदार थे? मैं उस सरकार की हालत के लिए सिर्फ दो स्टेटमेंट क्वोट करना चाहूंगा कि 20 जनवरी, 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जयपुर में वक्तव्य दिया कि आरएसएस के कैम्प्स में टेरर ट्रेनिंग दी जाती है। जब नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने सवाल पूछा, तब गृह मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया। आप सोचिए, इस प्रकार का मज़ाक भारत की सुरक्षा के साथ कभी सुनाई नहीं पड़ता। 14 जुलाई, 2011 को कांग्रेस के एक चिर युवा नेता, जो चिर क्रोधित और चिर आक्रोषित रहते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, द्वारा "But terrorism is something that is impossible to stop all the time." यानी हमेशा के लिए आतंकवाद को रोकना मुमकिन नहीं है। सभापति महोदय, जिस सरकार का चाल-चलन ऐसा था, उसके समय में आतंकवाद रोकना मुमकिन नहीं था, पर आज मोदी जी की सरकार है और 'मोदी है तो मुमकिन' है।

मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। एक दौर था। वर्ष 2007 में 26/11 के हमले के पहले आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या नीति थी? हवाना में जाकर यह कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार की official statement थी। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई, 2009 में शर्म अल शेख में Joint Declaration में बलूचिस्तान का उल्लेख आया और यह कहा गया कि terror के attacks से talks प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन जब हमारी सरकार

आई, तो हमने कहा कि terror के साथ talks नहीं होंगी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमने इस बात को बिल्कुल साफ-साफ कर दिया है और इसलिए पिछले 11 साल ऐसे हैं, जब कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। जब से हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, आप जानते हैं कि हालात में क्या बदलाव आया है? उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। जिसे हम अपनी लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अमा मियां, वो दिन लद गए, जब उस्ताद लल्लू ख़ां फ़ाख़्ता उड़ाया करते थे। अब वह बदलाव देखने को मिला है। यह लोग तो वो हैं, जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था कि इसी संसद भवन की छत के ऊपर जो शेर बने हैं, उसके लिए लोग कोर्ट में गए थे कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी, इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे, परंतु ये भूल गए कि हमारे प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोबिंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि:

मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य,
बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचायेंगे
महाराणा और शिवाजी की संतति कहाते हैं,
शीश कट जायें भले झुकने न पायेंगे
और बार- बार छेड़िए न भारत स्वाभिमान को
अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे
सौगन्ध मां भवानी की उठेगी ललकार
जब आपके घरों पर चील- कौवे मंडराएंगे।

यह बालाकोट में भी दिखा, यह सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा, पर तब हमारे विरोधी कहते थे कि आदमी मरे थे या कौवे मरे थे। पेड़ गिरा था या बिल्डिंग गिरी थी। इस प्रकार की मज़ाकिया बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की व्यवस्था को समझें- अभी हमारे साथी की तरफ से एक विषय का उल्लेख आया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि voter duplication की बात हमारे विरोधी उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि voter duplication की बात करना चाहते हैं, तो पहले citizenship duplication तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं NRC के लिए हां बोल देते हैं, उसके बाद यह मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि voters को लेकर आपके मन में संदेह है, तो एक बार NRC करवा दीजिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पर हुई है, असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, 10 लाख 25 हजार वोटों से जीते हैं और असम के हमारे साथी, जो यहां बैठे होंगे, धुबरी को 'Mini Bangladesh' कहा जाता है, इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): What is he saying for a Member of the other House? ...*(Interruptions)*...

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): सर, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ यह तारीफ की है कि वे जीते हैं। I have just put out the facts and nothing personal. ...*(Interruptions)*...I have said that he has got the biggest... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...*(Interruptions)*...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: सर, हमने सिर्फ एक डेटा बताया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Sudhanshu*ji*, take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, my very extensive ruling is there that this House, the Council of States, is well within its rights to discuss conduct of any person, including Member of that House. ...*(Interruptions)*... I will look into it. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, ask him to authenticate. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। उन्होंने दूसरे सदन के माननीय सदस्य के कोई टिप्पणी नहीं की। इनकी जीत का मार्जिन बताया है। वह रिकॉर्ड का हिस्सा है। भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसमें अगर थोड़ा दो-पांच हजार ऊपर-नीचे होता होगा, तो कल सुधांशु जी सुधार देना।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, इसी सदन में जब तत्कालीन सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने लोक सभा के सदस्य, जिन्होंने विदेश में जाकर भारत पर कुछ टिप्पणियां की थीं, वह मुद्दा उठाया, तो एक point of order रेज़ किया गया और मैंने point of order का निर्णय दिया। तब मैंने कहा कि अपने रूल स्पष्ट हैं और रूल ये कहते हैं कि लोक सभा के सदस्य के बारे में यहां चर्चा हो सकती है।

6.00 P.M.

अंकुश एक नियम में नहीं है। नियम बहुत स्पष्ट है कि आप आरोप नहीं लगा सकते और यदि आरोप लगाते हैं, तो सभापति को सूचित कीजिए। मैंने बारीकी से तत्कालीन सदन के नेता, श्री पीयूष गोयल का बयान देखा, उन्होंने लोक सभा के सदस्य के बारे में जो कुछ कहा, वह उन्होंने लंदन में हू-ब-हू कहा। चूंकि वह भारत विरोधी था, as it is, I had to give my ruling. Sudhanshu*ji*, you will conclude tomorrow.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 20th March, 2025, with one clarification from my side. When I was talking about jurisdiction, the jurisdiction was with respect to CBI and not IB.

The House then adjourned at six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 20th March, 2025.